03 सुकन्या समृद्धि खाता

Sukanya Samridhi Account

बलिकाओं के हितों के बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार ने दिनांक 2 दिसम्बर 14 को नोटिफिकेशन क्र . GSR 863 (E) के माध्यम से सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2014 बनाया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

(1) [kkrk dku [kksy ldrk g \ – खाता नैसर्गिक या विधिक संरक्षक द्वारा बालिका के नाम से जन्म लेने से दस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खोला जा सकेगा। जिस बालिका ने ये नियम जारी होने से पूर्व 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी अर्थात जिसकी जन्म तिथि 2/12/2003 के बाद हो, उनके भी नाम पर दिनांक दिसम्बर 1, 2015 तक खाता खोला जा सकता है। दस वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, खाता धारक अर्थात बालिका स्वयं खाता संचालित कर सकेगी तथापि खाता केवल दो बालिओं के नाम से खोला जा सकता है। परन्तु एक साथ 2/3 (Twins) पैदा होने की स्थिति में 2 या अधिक बालिकाओं के नाम से भी खाता खोला जा सकता है। खाते में रकम संरक्षक या किसी भी व्यक्ति द्वारा जमा की जा सकेगी।

(2) [kkrk dgk [kksy ldrs g – खाता पोस्ट आफिस या व्यावसायिक बैंक की किसी भी शाखा में खोला जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार कभी भी नजदीकी शाखा में स्थानांतरित भी किया जा सकता है।

(3) tek jde & खाते में वर्ष में न्यूनतम 1000 रू. से लेकर अधिकतम 1.50 लाख रू तक जमा किया जा सकता है। न्यूनतम रकम जमा नही होने की स्थिति में खाता अनियमित हो जाएगा ऐसी स्थिति में रू . 50 प्रतिवर्ष जुर्माने जमा कर न्यूनतम राशि उन सभी वर्षों के लि ए (जिन वर्षों में न्यूनतम राशि जमा न की जा सकी हो) एक साथ जमा कर खाता खोले जाने के 14 वर्षों तक नियमित करवाया जा सकता है।

(4) tek jde ij C;kt ,oa tek dh fof/k & खाते में रकम नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा जमा की जा सकती है। वर्ष 14–15 के लिए ब्याज की दर 9 .1 प्रतिशत थी, वर्ष 15–16 के लिए ब्याज दर 9.2 प्रतिशत निर्धारित की गई तथा 1–4–2016 से 8.6 प्रतिशत है यह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देय होगा।

(5) [kkrk dh vof/k @ ifjiDork ¼& खाता खोले जाने के कम से कम 14 वर्षों तक न्यूनतम रू. 1000 प्रतिवर्ष भुगतान करना आवश्यक है। खाते की परिपक्वता खोले जाने के दिनांक से 21 वर्ष या खाता धारक बालिका की शादी, जो पहले हो, होगी। परन्तु बालिका की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होने पर ही खाते को बंद किया जाना संभव होगा।

(6) le; iwoZ vkgj.k & उच्चतर शिक्षा और विवाह के उद्देश्यों के लिए खाता धारक की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) पर, खाते में जमा राशि के 50 प्रतिशत तक की राशि निकालने की अनुमति है, यदि आहरण दिनांक को खाता धारक बालिका 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो।

(7) ifjiDork iwoZ [kkrk cUn djuk & खाता धारक बालिका की मृत्यु होने पर या जब केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाए कि खाते के संचालन में धाता धारक को अत्यधिक कठिनाई हो रही है तो वह कारणों को लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, खतरनाक रोगों की चिकित्सा में सहायता, मृत्यु जैसे अत्यन्त अनुकंपा आधार वाले मामलों में ही खाता बंद करने की अनुमति दी जा सकेगीं।

(8) vk;dj lsNV ¼& बलिकाओं को अधिक से अधिक लाभ मिले अतः इस निवेश का टैक्स मॉडल Exempt -Exempt-Exempt (EEE) निर्धारित किया गया है अर्थात निवेश की गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80 C के तहत, कर योग्य आय से कटौति योग्य होगी। इसी प्रकार प्राप्त ब्याज करमुक्त होंगे एवं योजना की परिपक्वता या आंशिक आहरण भी करमुक्त होंगे।

(9) योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए वेबसाईट www.nsiindia.gov.in का अवलोकन करें।